

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, बीकानेर
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स वीरेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी,
बीकानेर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 29/आरवैट/बीकानेर/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2010 एवं संशोधन आदेश दिनांक 13.04.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25 एवं 61 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिये पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें मांग रुपये 96,975/- को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 08.12.2009 को सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया। अपीलार्थी फर्म द्वारा हार्डवेयर, प्लाई, सनमाईका व फेवीकोल का क्रय विक्रय किया जाता है। अपीलार्थी फर्म धारा-3(2) RVAT Act, 2003 के तहत पंजीकृत है। जिसके द्वारा कुल विक्रय पर 0.25 प्रतिशत की दर से कर अदा किया जाता है। वक्त जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा इस वर्ष में राज्य के बाहर से करयोग्य माल हार्डवेयर प्लाई आदि का आयात किया जाकर उस माल का विक्रय किया गया। इस कारण से अपीलार्थी के द्वारा लिये गये धारा-3(2) RVAT Act, 2003 के लिये गये विकल्प के तहत फर्म को कुल विक्रय पर 0.25 प्रतिशत से Composition राशि चुकाने का अधिकारी नहीं रहा है। अतः इस आधार पर अपीलार्थी को वर्ष 2009-10 में दिनांक 01.04.2009 से वैट डीलर माना जाकर कर निर्धारण किया गया। अपीलार्थी ने करापवंचन के इरादे से धारा-3(2) Composition Option RVAT Act, 2003 के तहत ग्रहण कर रखा है। वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर तीन समानान्तर बिल बुकें पायी गयी। जिनमें अपीलार्थी फर्म द्वारा हार्डवेयर, प्लाईवुड, सनमाईका आदि करयोग्य माल का लगातार.....2

विक्रय किया गया है, उक्त बिक्री को अपीलार्थी ने अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में नहीं दर्शाया है। वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर 48 लूज पेपर्स पाये गये। जिनमें अपीलार्थी द्वारा हार्डवेयर, फैंवीकोल, जाली, प्लाई, चीप आदि माल राज्य एवं राज्य के बाहर से क्रय किया जाना पाया गया। जिसे अपीलार्थी ने अपनी नियमित लेखा-पुस्तकों में दर्ज नहीं किया है। जांच पर 4 प्रतिशत से करदेय माल हार्डवेयर, प्लाईवुड व फैंवीकोल रुपये 6,57,396/- तथा 14 प्रतिशत से कर देय माल रुपये 56,394/- का पाया गया। जिसका अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों में कोई इन्द्राज नहीं पाया गया। सर्वेक्षण के वक्त पाये गये 48 लूज पेपर की जांच करने पर 14 प्रतिशत कर देय माल की खरीद रुपये 1,29,675/- तथा 4 प्रतिशत कर देय माल हार्डवेयर की खरीद रुपये 4,60,452/- की पायी गयी। जिनका नियमित लेखा-पुस्तकों में कोई इन्द्राज नहीं पाया गया। इस प्रकार 14 प्रतिशत कर देय माल की उचन्ती खरीद रुपये 1,29,674/- में 10 प्रतिशत लाभांश जोड़ने पर उक्त खरीद का विक्रय मूल्य रुपये 1,42,641/- निर्धारित होता है। इस प्रकार 14 प्रतिशत कर देय माल उचन्ती रूप से क्रय कर रुपये 1,42,641/- में विक्रय किया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा समानान्तर बिल जारी कर रुपये 6,57,396/- का हार्डवेयर माल का विक्रय किया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा इन समानान्तर बिलों की बिक्री को अपनी लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं कर करापवंचन किया है। इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 2009-10 के दौरान एक वैट डीलर के रूप में माल को खरीद विक्रय किया है तथा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2009 से सर्वेक्षण दिनांक 08.12.2009 तक कुल नियमित रूप से की गयी करयोग्य बिक्री 4 प्रतिशत से रुपये 6,90,639/-, 12.5 प्रतिशत से रुपये 4,18,617/- एवं 14 प्रतिशत से करयोग्य रुपये 6,37,071/- पर कुल देय कर रुपये 1,69,143/- को राजकोष में जमा नहीं करवाकर कर की अपवचंन की है, जो धारा-61 राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत अपराध है। अतः सक्षम अधिकारी ने अपीलार्थी को सम्मन जारी कर करापवंचित बिक्री एवं अपवंचित बिक्री पर धारा-61 राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत शास्ति आरोपण एवं धारा-25 राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत कर निर्धारण हेतु सम्मन जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के जवाब से असन्तुष्ट होकर सक्षम अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध धारा-25 राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत संशोधित कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर एवं धारा-61 राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत शास्ति आरोपित कर दी, जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गयी है।

3. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.पारीक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का विरोध करते हुए यह कथन कि सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्याय के विरुद्ध है। सक्षम अधिकारी ने अतिरिक्त करारोपण एवं शास्ति आरोपित कर विधिक भूल की है। सक्षम अधिकारी ने RVAT Act के प्रावधानों एवं नियमों की अनदेखी कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश पारित कर विधिक भूल की है क्योंकि प्रत्यर्थी पर

सक्षम अधिकारी का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है प्रत्यर्थी ने किसी प्रकार की कोई कर चोरी नहीं की है। सक्षम अधिकारी प्रत्यर्थी फर्म का सर्वे फर्म मालिक/मैनेजर की उपस्थिति में नहीं किया है वक्त सर्वेक्षण व्यापार स्थल पर दो स्वतंत्र गवाह नहीं थे, इनकी गैरहाजरी में सर्वे किया गया है इस प्रकार सक्षम अधिकारी ने सर्वे की समस्त कार्यवाही अनाधिकृत व्यक्ति की मौजूदगी में की है जिसका फर्म से कोई संबंध ही नहीं है इसके अलावा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भी फर्म मालिक या मैनेजर के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी सर्वेक्षण की कार्यवाही RVAT Act के अनुसार गैर कानूनी है। सक्षम अधिकारी को नोटिस की पालना में समस्त सूचना प्रस्तुत कर दी गयी थी लेकिन सक्षम अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को दरकिनार करते हुए अपनी मनमर्जी से अतिरिक्त करारोपण एवं शास्ति आरोपण कर विधिक भूल की है। सर्वेक्षण की कार्यवाही दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में होनी चाहिये जिसका कानून में स्पष्ट प्रावधान है लेकिन सक्षम अधिकारी ने सर्वेक्षण की कार्यवाही फर्म मालिक के पुत्र की मौजूदगी में की है तथा सर्वेक्षण जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी उसी से करवाये हैं जिसका फर्म से कोई संबंध ही नहीं है तथा उसे फर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है अतः सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी सर्वेक्षण की कार्यवाही कानूनन अविधिक है। सक्षम अधिकारी ने सर्वेक्षण के वक्त पाये गये लूज पेपर्स के आधार पर 4 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत की जो बिक्री मानी है वह अविधिक है क्योंकि सर्वेक्षण के वक्त पाये गये पेपर सही थे जिनका मिलान प्रत्यर्थी की लेखा पुस्तकों से होता है लेकिन जो लूज पेपर सीज किये गये थे उनका फर्म से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि सर्वेक्षण अनाधिकृत व्यक्ति की मौजूदगी में किया गया है। अतः इन लूज पेपरों के आधार पर प्रत्यर्थी पर अतिरिक्त आरोपित कर एवं शास्ति अविधिक रूप से लगाई गयी है। प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से कोई कर योग्य माल की खरीद नहीं की गयी है सक्षम अधिकारी ने मात्र कल्पना के आधार पर कर योग्य खरीद को राज्य के बाहर की मानकर उस पर करारोपण कर विधिक भूल की है। प्रत्यर्थी ने सक्षम अधिकारी सर्वेक्षण सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रतियां मांगी थी ताकि उस आधार पर उनका जवाब प्रस्तुत किया जा सके लेकिन सक्षम अधिकारी ने मांगे गये दस्तावेजों की प्रतियां जारी नहीं की। जो कि प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार उन्हें दी जानी चाहिये थी। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा बिना दस्तावेजों की प्रतियां प्रत्यर्थी को जारी किये पारित आदेश विधिक रूप से उचित नहीं है। प्रत्यर्थी ने धारा 3(2) के प्रावधानों के तहत की गयी बिक्री पर कर नियमानुसार राजकोष में जमा करा दिया था तथा समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर रखा है। जिसे सक्षम अधिकारी ने अपने कर निर्धारण अधिकारी आदेश के पेज नं. 2 के पैरा नं. 6 में इसका हवाला दिया है। सक्षम अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश में वैट टैक्स जो कम जमा बताया गया है। उसका कारण है कि फर्म द्वारा दिनांक 01.04.2009 को प्रारम्भिक स्टॉक पर आई.टी.सी. का क्लेम नहीं किया है। अतः इस बिक्री पर सक्षम अधिकारी ने करारोपण कर विधिक भूल की है। प्रत्यर्थी फर्म धारा 3(2) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है सक्षम अधिकारी ने प्रत्यर्थी का धारा 3(2) का पंजीयन प्रमाण पत्र नियमानुसार निरस्त नहीं किया है। अतः धारा 3(2) के पंजीयन प्रमाण पत्र को

बिना निरस्त किये उसकी बिक्री को वैट एक्ट के तहत डीलर मानकर करारोपण करने की कार्यवाही अविधिक है। इसके अलावा प्रत्यर्थी द्वारा धारा 3(2) डीलर के आधार पर बिक्री पर 0.25 प्रतिशत से कर राजकोष में जमा कराया गया है। अभिभाषक द्वारा धारा 61 आरवैट एक्ट के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दू पर बहस करते हुए कहा कि जब प्रत्यर्थी के द्वारा सभी बिक्री संव्यवहारों का इन्द्राज उसकी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज किया है तो ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी के द्वारा करापवंचन मानते हुए शास्ति आरोपण किया जाना गैरकानूनी एवं विधि विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायालयों के अपीलार्थी के पक्ष में निम्न निर्णय उद्धरित किये :-

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स राजधानी वाईन (1992) 87 एस.टी.सी. पैज 362 माननीय राजस्थान हाई कोर्ट
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स गोपाल इण्डस्ट्रीज (1993) 52 एस.टी.सी. पैज 334 (1982) 5 एस.टी.एल. पैज 204 माननीय राजस्थान हाई कोर्ट
3. वाणिज्यिक कर अधिकारी बनू मैसर्स साजत लाईम कम्पनी (1989) 74 एस.टी.सी. पैज 288 (1989) 30 एस.टी.एल. पैज 187 माननीय राजस्थान हाई कोर्ट
4. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स सुखदेव गुलाब चन्द (1986) 16 एस.टी.एल. 198
5. वाणिज्यिक कर अधिकारी, बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (1987) 65 एस.टी.सी. पैज 440
6. वाणिज्यिक कर अधिकारी, बनाम के०ओ० इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मिल्स (1987) 65 एस.टी.सी. पैज 174
7. वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मोहनलाल शान्ति लाल जैन (1989) 74 एस.टी.सी. पैज 214
8. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स शारदा प्लास्टिक्स प्रा. लि. (1991) 83 एस.टी.सी. पैज 143
9. वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स फौरेन इमपोर्ट एग्रेड एक्सपोर्ट एसोसिएशन (1980) 45 एस.टी.सी. पैज 265
10. मैसर्स जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लि. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (1989) 6 आर.टी.जे.एस. पैज 4
11. मैसर्स एसोसिएटेड सोप स्टॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (1972) 29 एस.टी.सी. पैज 699

उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आधारों पर बहस करते हुए अधिकृत प्रतिनिधि ने प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

4. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवसाई फर्म का सर्वेक्षण फर्म मालिक के पुत्र की मौजूदगी में किया गया तथा अपीलार्थी का यह कथन निराधार है कि वक्त सर्वेक्षण फर्म का अधिकृत व्यक्ति मौजूद नहीं था। राजकीय अधिवक्ता ने आगे बताया की फर्म मालिक का पुत्र ही फर्म का सारा खरीद बिक्री का कार्य करता है तथा सारे काम की जानकारी उसको थी इसीलिये उसने सर्वेक्षण के समय फर्म की समस्त जानकारीयां कर निर्धारण

अधिकारी को उपलब्ध कराई अतः अपीलार्थी की यह दलील मानने योग्य नहीं है कि वक्त सर्वे फर्म मालिक का पुत्र अधिकृत व्यक्ति नहीं था। राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के द्वितीय बिन्दू पर बहस करते हुए बताया कि व्यवसाई धारा 3(2) में पंजीकृत था लेकिन रिकॉर्ड पत्रावली की आदेशिका में दिनांक 03.03.2010 को यह अंकित है कि व्यवसाई के पंजीयन प्रमाण पत्र को वैट डीलर ने परिवर्तन करने हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-ए को लिखा जावे। इस प्रकार व्यवसाई ने इसी आधार पर वैट डीलर मानते हुए दिनांक 13.01.2010 में रेक्टिफिकेशन करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रार्थना की गई जिसे दिनांक 13.04.2010 को कर निर्धारण अधिकारी ने स्वीकार करते हुए व्यवसाई को वैट डीलर होने के कारण उसे आगत कर का लाभ प्रदान किया गया। अतः अपीलार्थी का यह बिन्दू सारहीन है कि व्यवसाई के विरुद्ध धारा 3(2) होने के कारण सर्वेक्षण के आधार पर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया। वक्त सर्वेक्षण फर्म मालिक का पुत्र व्यवसाय स्थल पर पाया गया, उसकी मौजूदगी में सर्वेक्षण की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पूरित की गई है। व्यवसाई स्वयं ही इस फर्म के सारे कार्य की देखभाल करता है क्योंकि इस फर्म में उसकी माताजी प्रोपराईटर है। इसलिये अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर अधिकृत व्यक्ति उपस्थित नहीं था। फर्म मालिक का पुत्र जब समस्त खरीद बिक्री का कार्य कर रहा है और बिल जारी कर रहा है तो उससे अधिक अधिकृत व्यक्ति कौन होगा। अतः इस बिन्दू पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. अपीलार्थी का यह कथन था कि व्यवसाई धारा 3(2) में पंजीकृत होने के कारण उसके विरुद्ध कर, ब्याज एवं शास्ति की कार्यवाही अविधिक है, यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवसाई केवल राज्य के भीतर पंजीकृत व्यापारियों से माल क्रय करके विक्रय कर सकता है, परन्तु इस प्रकरण में जांच पर पाया गया कि व्यवसाई ने राज्य के बाहर से कर योग्य माल हार्डवेयर, प्लाई इत्यादी का आयात कर विक्रय किया है जबकि नियमानुसार धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवसाई राज्य के बाहर से माल आयात करके विक्रय नहीं कर सकता है। इस प्रकरण में व्यवसाई ने वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर 48 लूज पेपर्स स्वैच्छा से जांच हेतु समर्पित किये हैं जैसा की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 8 पर व्यवसाई ने अपने बयानों में वर्णन किया है, इसके बाद व्यवसाई ने अपने पंजीयन प्रमाण पत्र को धारा 3(2) से वैट डीलर के रूप में परिवर्तित करवा लिया है, इससे स्पष्ट है कि व्यवसाई वस्तुतः वैट डीलर के रूप में ही कार्य कर रहा था और कर निर्धारण अधिकारी ने पारित आदेश में व्यवसाई को आगत कर का पूरा लाभ प्रदान किया है अतः कर निर्धारण अधिकारी ने उसके विरुद्ध जांच के उपरांत कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की है वह विधि सम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश के द्वारा जो धारा 61 के तहत रुपये 1,18,640/- की शास्ति को अपास्त किया है उसकी पुष्टि की जाती है क्योंकि व्यवसाई ने खरीद बिक्री के सभी संव्यवहारों का जमा खर्च लेखा पुस्तकों में कर रखा था यद्यपि उसने धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार

कर जमा कराया था जबकि उसका वैट डीलर के रूप में कर जमा कराने का दायित्व था अतः सक्षम अधिकारी ने मात्र Short collection of tax को मानकर इसे अपवंचित वैट कम जमा होने के कारण धारा 61 के तहत शास्ति रुपये 1,18,640/- आरोपित की गई थी जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त किया है इसकी पुष्टि की जाती है। व्यवसाई का यह तर्क बलहीन है कि सर्वेक्षण के समय दो स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं थे क्योंकि सर्वेक्षण के समय व्यवसाई के बयानों के अलावा माल का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया अतः माल के भौतिक सत्यापन के अभाव में गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। व्यवसाई ने लूज पेपर्स भी स्वैच्छा से जांच हेतु समर्पित किये जिससे जाहिर होता है कि व्यवसाई की जांच एवं सत्यापन नियमानुसार किया गया।

7. फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं व्यवसाई की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य